फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी बूझडा, पो0 कुन्दवा प0स0 देवगढ जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या **22/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 26.07.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ के पत्रांक सू.अ.अ./2021/46–47 दि. 01.07.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में 02 बिन्दुओ में सूचना मांगी गई जो इस कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड एवं संधारित सूचना के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ./2021/36 दिनांक 19.04.2021 द्वारा आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचना भिजवाई गई।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध सूचना दिनांक 19.04.21 को प्रेषित किये जाने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)